

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, भिनाय जिला-केकड़ी(राज0)

प्रकरण संख्या-65/2024


अन्तर्गत धारा:-.....

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्य जज

26/11/24

पत्रावली पेश। हुई। वकील जार्ज/जार्जिंग उपस्थित है।  
 वकील जार्ज और जार्जिंग पत्रावली पर कोई आगे  
 कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इस संबंध में वकील जार्ज व  
 जार्जिंग स्वयं द्वारा पत्रावली आदेशिका पर टिप्पणी  
 लिखी है। पत्रावली में वकील जार्ज को सूचना गणा  
 वकील जार्ज एवं जार्जिंग स्वयं द्वारा निवेदन किया  
 गया कि जार्जिंग पत्रावली पर आगे कोई कार्यवाही  
 नहीं चाहते हैं। अतः पत्रावली पर आगे कोई कार्यवाही  
 नहीं की जावे। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर आगे  
 कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः  
 पत्रावली पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की  
 जाती है। पत्रावली फैसल शुमार है। नम्बर से कम  
 दोसर दायित्व दफतर है।

सिमाव जी  
 से वाद नहीं  
 चलाना चाहती  
 हैं

अ. कि.  
 अन्तःस.  
  
 सिमाव जी  
 26-11-24.

उपस्थित अधिकारी  
 भिनाय (केकड़ी)